38

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा (म0प्र0) Rs.30/-

III/निग0/ सतना/भू-रा0/2017/2197

1.व्यंकटेश प्रसाद शुक्ला तनय श्री अवधेश प्रसाद शुक्ला उम्र 27 वर्ष

2.लक्ष्मीनारायण शुक्ता तनय श्री अवधेश प्रसाद शुक्ला उम्र 25 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम झिन्ना तहसील – अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

..............आवेदक गण/निगरानीकर्ता गण

बनाम

रामसेवक शुक्ला तनय स्व0 श्री लालबिहारी शुक्ला उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम झिन्ना तहसील – अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

..............अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना के द्वारा रा0प्र0क्र0 52/अ/15–16 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2017 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि गैर निगरानीकर्ता के द्वारा अधी0 न्यायालय के समक्ष भू–अभिलेख अधिकारी सतना जिला सतना के रा0प्र0क्र0 19/अ/12–13 आदेश दिनांक 29.05.2013 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। उक्त प्रकरण में गैर निगरानीकर्ता के द्वारा रेस्पा0क्र0 3 के रुप में नारायण प्रसाद शुक्ला तनय अवधेश प्रसाद शुक्ला उम्र 20 वर्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2197

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरूणेन्द्र चौरसिया उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक- 52/अ/15/-16 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2017 विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना के द्वारा आदेश पत्र का दिनांक 07/07/17 में अपीलांट अधिवक्ता के लिखित तर्क एवं उत्तरवादी के लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु लेख किया तथा प्रकरण में उत्तरवादी के आवेदन का निराकरण अंतिम आदेश के साथ करनेके लिए लेख किया था लेकिन प्रकरण संचालित होते हुए भी इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक इस प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका	

दिनांक 07/07/17 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक- 52/अ/15/-16 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य